पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6505/2023

==========

रेशमा प्रसाद सी/ओ राम प्रवेश प्रसाद निवासी स्टेशन रोड, देवी स्थान, गोरिया टोली, पटना 800001।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना।
3. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना।
4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-जनहित याचिका-जाति की श्रेणी के तहत किन्नरों को शामिल करना भारत के संविधान का उल्लंघन है-जाति सर्वेक्षण विकास में न्याय सुनिश्चित करने और समाज के भीतर हाशिए पर पड़े और दलित समूहों के हितों की रक्षा करने के लिए है-समुदाय का कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडरों को जाति के रुप में नहीं मानने की मांग करते हुए राज्य में प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा-अवलोकनों के साथ याचिका का निपटारा किया गया।

(2014)5 एस.सी.सी. 438-संदर्भित

(पैरा 1,2 और 4)

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6505/2023

==========

रेशमा प्रसाद सी/ओ राम प्रवेश प्रसाद निवासी स्टेशन रोड, देवी स्थान, गोरिया टोली, पटना 800001।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना।
3. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना।
4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिएः सुश्री सचिना, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए: श्री पी. के. शाही (महाधिवक्ता)

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 18-08-2023

इस रिट याचिका के माध्यम से बिहार राज्य सरकार द्वारा किए गए 2022 के जाति सर्वेक्षण के संदर्भ में, परलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर देने की मांग की गई है।जाति और लिंग को एक व्यक्ति की दो अलग-अलग पहचान माना जाता है और इसलिए, आइटम संख्या- 22 में जाति की श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,16 और 21 का उल्लंघन है।यह प्रभावी रूप से परलैंगिक व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान चुनने के अधिकार से वंचित कर देता है।इस प्रकार उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से इनकार करता है जिसके परिणामस्वरूप घोर मनमानेपन होता है और यह भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है।राष्ट्रीय कानूनी **सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) 5 एस सी सी 438** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी विश्वास प्रकट किया गया है।

2. हम अनुलग्नक-2 से जातियों की सूची देखते हैं, कि मद संख्या 22 में, 214 नामित जातियों में ट्रांसजेंडर शामिल किया गया है।जाहिर है, विकास में न्याय सुनिश्चित करने और समाज के भीतर हाशिए पर पड़े और दलित समूहों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया और जारी रखा गया।हमें तुरंत ध्यान देना होगा कि ट्रांसजेंडर उत्थान और समान अधिकारों की माँग कर रहे है जो कि

सर्वेक्षण के परिणामों से ऐसे हाशिए पर रहने वाले समझे की मदद के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करके सामने आ सकता है।

3. यह सच है कि परलैंगिक एक जाति पहचान नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें पुरुष/महिला लिंग वर्गीकरण के अनुरूप नहीं होने वाले लोग भी शामिल है, आत्मनिर्णय की अनुमति दी जानी चाहिए।बिहार राज्य ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार *द्वारा* पत्रांक- 7888 दिनांक 04.04.2023 द्वारा प्रगणा को स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि लिंग से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर पुरुष, महिला या अन्य तीन विकल्पों में होना चाहिए।यदि कोई व्यक्ति 'अन्य' में शामिल होने का विकल्प चुनता है, तो उन्हें प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में अपनी वास्तविक जाति का उल्लेख करने की अनुमति है।इस प्रकार जाति और लिंग की अलग-अलग पहचान और आत्मनिर्णय की आशंका को लेकर विवाद कम हो जाता है।

4. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने 'ट्रांसजेंडरों' को जाति सूची से हटाने का जोरदार अनुरोध किया।फिलहाल उक्त प्रार्थना का प्रयोजन नही हो सकेगा क्योकि जाति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।याचिकाकर्ता या समुदाय का कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा, जिसमें परलैंगिक को जाति के रूप में नहीं मानने की मांग की जाएगी।हालाँकि, इस न्यायालय की राय है कि एक गलती की गई है क्योंकि लोगों के समूह, जो 'परलैंगिक' हैं, उन्हें जाति गणना के तहत शामिल किया गया है; समुदाय की अलग पहचान और एक समूह के रूप में उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच, से ही कल्याणकारी उपाय हो सकते है और ऐसी सामूहिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के सत्यापन के बाद समुदाय को उत्थान के लिए लक्षित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य जाति के आधार पर लाभ देना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बड़े समूह के संकेतक के रुप में जाति के साथ समुदायो की पहचान करना है।जिन्हें समाज के भीतर एक

समान स्थिति और सभ्य जीवन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए उपायों की आवश्यकता होगी।

5. हम उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।